



# दिल्ली विधानसभा चुनावों में कांग्रेस अकेली और अलग-थलग पड़ी

इंडिया गठबंधन के सभी दल के जरीवाल के समर्थन में खुलकर सामने आए

-रेणु मित्तल-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 9 जनवरी पिछली में कांग्रेस एकदम अकेली रही है, क्योंकि इंडिया एलायस के सभी घरके दलों और कांग्रेस के सहयोगियों ने आगामी चुनावों में आम आदमी पार्टी को समर्थन देने का निर्णय लिया है।

इसके लिए कांग्रेस नेता और पार्टी कोषाध्यक्ष अमित शर्मा को जिम्मेवार माना जा रहा है, जिन्होंने न केवल कांग्रेस के चुनाव प्रचार को पटरी से उतार दिया बल्कि यह भी सुनिश्चित कर दिया की इंडिया गठबंधन के सभी दल के जरीवाल को समर्थन करेंगे।

अजय माकन ने केजरीवाल को देशद्रोही और फर्जीवाल कहा के केजरीवाल के नेतृत्व में यह तक कह दिया कि कांग्रेस को गठबंधन से निकाल कर बाहर फेंके दें। जिन्होंने यह भी कहा कि अजय माकन को माफी मांगी चाहिए।

माकन ने कहा था कि वे ऐसे कॉन्फ्रैंस के बात विस्तार से बातें पढ़ें, किस प्रकार से केजरीवाल के देशद्रोही हैं, पर उसके पहले ही कांग्रेस नेतृत्व में उड़े

- ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और उद्धव ठाकरे तो केजरीवाल के समर्थन में चुनावी रेली को भी संबोधित करेंगे।
- दिल्ली विधानसभा के त्रिकोणात्मक चुनाव में कांग्रेस को सबसे कमज़ोर माना जा रहा है। इसके विश्वसीय विकल्प के रूप में उभरने की दूर-दूर तक कोई संभावना नहीं है।
- कांग्रेस की इस दशा के लिए अजय माकन को जिम्मेवार ठाराया जा रहा है, जिन्होंने केजरीवाल को देशद्रोही और फर्जीवाल कहा तथा वे तो केजरीवाल के खिलाफ एक प्रैस कॉन्फ्रैंस भी करने वाले थे।
- पर, केजरीवाल की शिकायत पर इंडिया गठबंधन के एक वरिष्ठ नेता के काँल के बाद कांग्रेस नेतृत्व ने अजय माकन पर अंकुश लगाया।
- अब स्थिति ऐसी है कि कांग्रेस का चुनाव प्रचार एकदम फीका पड़ चुका है, यह तक पुछा जा रहा है कि क्या कांग्रेस दिल्ली चुनाव के लिए गंभीर है।

रोक दिया और प्रैस कॉन्फ्रैंस करने से किया गया। कांग्रेस से कहा गया कि मना कर दिया। यह निर्णय एक बरिष्ठ आम आदमी पार्टी गठबंधन की घटक गठबंधन सहयोगी के फैन काली के बाद

संभल की शाही  
जामा मस्जिद  
इंतजामिया कमेटी  
पहुंची सुप्रीम कोर्ट

-जाल खंबाता-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 9 जनवरी संभल शाही जामा मस्जिद मैनेजरेट कमेटी गुरुवार को सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गई। कमेटी ने सर्वोच्च न्यायालय से मांग की कि जिला मस्जिस्टेट को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिये जायें कि मस्जिद की सीढ़ियां क्रेब्रेश के पास से सर्वोच्च में विधायित बांधकारी रखी जायें।

कमेटी ने जिला मस्जिस्टेट को यह

- कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि जिला प्रशासन को यथास्थिति बनाये रखने का निर्देश दिया जाए, खासकर मस्जिद की सीढ़ी के पास बने कुएं के संदर्भ में।

निर्देश देने की भी मांग की कि कुएं की जांच के सर्वोच्च में कोई कदम न उठाये जायें तथा शीर्ष अदालत की अवश्यक अनुमति के बिना मस्जिद के प्रवेश द्वारा पर स्थित कुएं को खोला नहीं जायें।

जिला मस्जिस्टेट को निर्देश देने की

मांग करने वाले प्राथमिकतामें कहा गया है: 'मस्जिल का जिला प्रशासन शहर के

पुराने मंदिरों तथा कुओं के जीर्णद्वारा का

अभियान चला रहा है तथा रिपोर्ट बता

रहा है जिस कम से कम 32 पुराने तथा

काम में नहीं आ रहे मंदिरों का जीर्णद्वारा

प्राप्ति विकसित के पद्धति की भर्ती के लिए

(शेष पृष्ठ 3 पर)

## आर.पी.एस.सी. को एक बार फिर दोषी पाया हाई कोर्ट ने

2019 की पश्चिकित्सक भर्ती में नयी मैरिट लिस्ट जारी करने के आदेश दिये

-यादवेन्द्र शर्मा-

जयपुर, 9 जनवरी (कासं)।

जयपुर स्थित राजस्थान हाईकोर्ट, में राज्य सरकार द्वारा 2019 में 900 पश्चिकित्सकों की भर्ती प्रक्रिया में अव्याय अध्यर्थियों को चुने जाने के खिलाफ

दायर रिट याचिका पर सुनाई हुई। इस

मामले में 80 से अधिक याचिकाकर्ताओं

ने अलग-मुख्य पास द्वारा अदालत के

समक्ष जो विवाद उभर के सामने आया,

वह यह था कि राजस्थान पश्चिका सर्विस

कर्मीयों (आर.पी.एस.सी.)

ने अध्यर्थियों की परीक्षा के बाद मैरिट

रिट में अपूर्ण रूप से अध्यर्थियों का

चयन किया जा सकता है। जिन्होंने अंतिम

सर्वोच्च की आविष्कारी परीक्षा दी है। इस मामले में याचिका कर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिकारीयों की परीक्षा के बाद सर्विस कर्ताओं की अवधारणा की जाएगी। अदालत ने अधिकारीयों की परीक्षा के बाद भी उभर करता है कि केवल उन अधिकारीयों का चयन किया जा सकता है। जिन्होंने अंतिम सर्वोच्च की आविष्कारी परीक्षा दी है। इस मामले में याचिका कर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिकारीयों की परीक्षा के बाद सर्विस कर्ताओं की अवधारणा की जाएगी। अदालत ने अधिकारीयों की परीक्षा के बाद भी उभर करता है कि केवल उन अधिकारीयों का चयन किया जा सकता है। जिन्होंने अंतिम सर्वोच्च की आविष्कारी परीक्षा दी है। इस मामले में याचिका कर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिकारीयों की परीक्षा के बाद सर्विस कर्ताओं की अवधारणा की जाएगी। अदालत ने अधिकारीयों की परीक्षा के बाद भी उभर करता है कि केवल उन अधिकारीयों का चयन किया जा सकता है। जिन्होंने अंतिम सर्वोच्च की आविष्कारी परीक्षा दी है। इस मामले में याचिका कर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिकारीयों की परीक्षा के बाद सर्विस कर्ताओं की अवधारणा की जाएगी। अदालत ने अधिकारीयों की परीक्षा के बाद भी उभर करता है कि केवल उन अधिकारीयों का चयन किया जा सकता है। जिन्होंने अंतिम सर्वोच्च की आविष्कारी परीक्षा दी है। इस मामले में याचिका कर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिकारीयों की परीक्षा के बाद सर्विस कर्ताओं की अवधारणा की जाएगी। अदालत ने अधिकारीयों की परीक्षा के बाद भी उभर करता है कि केवल उन अधिकारीयों का चयन किया जा सकता है। जिन्होंने अंतिम सर्वोच्च की आविष्कारी परीक्षा दी है। इस मामले में याचिका कर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिकारीयों की परीक्षा के बाद सर्विस कर्ताओं की अवधारणा की जाएगी। अदालत ने अधिकारीयों की परीक्षा के बाद भी उभर करता है कि केवल उन अधिकारीयों का चयन किया जा सकता है। जिन्होंने अंतिम सर्वोच्च की आविष्कारी परीक्षा दी है। इस मामले में याचिका कर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिकारीयों की परीक्षा के बाद सर्विस कर्ताओं की अवधारणा की जाएगी। अदालत ने अधिकारीयों की परीक्षा के बाद भी उभर करता है कि केवल उन अधिकारीयों का चयन किया जा सकता है। जिन्होंने अंतिम सर्वोच्च की आविष्कारी परीक्षा दी है। इस मामले में याचिका कर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिकारीयों की परीक्षा के बाद सर्विस कर्ताओं की अवधारणा की जाएगी। अदालत ने अधिकारीयों की परीक्षा के बाद भी उभर करता है कि केवल उन अधिकारीयों का चयन किया जा सकता है। जिन्होंने अंतिम सर्वोच्च की आविष्कारी परीक्षा दी है। इस मामले में याचिका कर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिकारीयों की परीक्षा के बाद सर्विस कर्ताओं की अवधारणा की जाएगी। अदालत ने अधिकारीयों की परीक्षा के बाद भी उभर करता है कि केवल उन अधिकारीयों का चयन किया जा सकता है। जिन्होंने अंतिम सर्वोच्च की आविष्कारी परीक्षा दी है। इस मामले में याचिका कर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिकारीयों की परीक्षा के बाद सर्विस कर्ताओं की अवधारणा की जाएगी। अदालत ने अधिकारीयों की परीक्षा के बाद भी उभर करता है कि केवल उन अधिकारीयों का चयन किया जा सकता है। जिन्होंने अंतिम सर्वोच्च की आविष्कारी परीक्षा दी है। इस मामले में याचिका कर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिकारीयों की परीक्षा के बाद सर्विस कर्ताओं की अवधारणा की जाएगी। अदालत ने अधिकारीयों की परीक्षा के बाद भी उभर करता है कि केवल उन अधिकारीयों का चयन किया जा सकता है। जिन्होंने अंतिम सर्वोच्च की आविष्कारी परीक्षा दी है। इस मामले में याचिका कर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिकारीयों की परीक्षा के बाद सर्व